



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-70

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 265248 दिनांक 05/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Darshit Agrawal S/o NARENDRA AGRAWAL	Jh euh"kdqekj 'kekZ iq= Jh ? ku';ke 'kekZ	506	150.00 SQ. METER	JDA	NILAY KUNJ Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना निलय कुंज के भूखण्ड संख्या 506 क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर की लीजडीड श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा के नाम से दिनांक 18.10.12 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री मनीष कुमार शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2013 के द्वारा श्री भारत भूषण अग्रवाल पुत्र श्री अमर नाथ वैश्य को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री भारत भूषण अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2013 के द्वारा डॉ. लक्ष्मी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

चन्द अग्रवाल पुत्र
श्री रोशन लाल को
कर दिया गया।
तत्पश्चात डॉ.
लक्ष्मी चन्द
अग्रवाल द्वारा
उक्त भूखण्ड का
जरिये रजिस्टर्ड
उपहारनामा
दिनांक
02.01.2024 के
द्वारा श्री दर्शित
अग्रवाल पुत्र श्री
नरेश अग्रवाल को
कर दिया गया।
आवेदक द्वारा
उक्त भूखण्ड का
नाम हस्तान्तरण
एवं लीज होल्ड से
फ्री होल्ड लीजडीड
जारी किये जाने
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Darshit Agrawal S/o NARENDRA AGRAWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004